DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

24 June, 2024

जीएसटी परिषद

संदर्भ: *53वीं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक शनिवार, 22 जून को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में दिल्ली में हुई।*

➢ सिफारिशें और घोषणाएँ:

- दूध के डिब्बे और सौर कुकर जैसी वस्तुओं पर कर लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।
- विशेष प्रकार के किराए के आवास में रहने वाले छात्रों के लिए राहत की घोषणा की गई है।
- हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सेब किसानों की सहायता के लिए कार्टून पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12% किया गया है।

जीएसटी परिषद क्या है?

➢ गठन और उद्देश्य:

- जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत 2016 में संवैधानिक (122वां संशोधन) विधेयक पारित होने और 15 से अधिक भारतीय राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के बाद हुई।
- **यह** भारत में कर संरचना को सरल और एकीकृत करने के लिए स्थापित, केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा लगाए गए कई करों की जगह लेता है।

➢ संरचना:

- इसे संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279ए (1) के तहत स्थापित किया गया है।
- इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) और वित्त या कराधान के लिए जिम्मेदार प्रत्येक राज्य से एक नामित मंत्री शामिल हैं।

जीएसटी परिषद के कार्य

➢ अधिदेश:

- जीएसटी से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर सिफारिशें करना।
- जीएसटी के अधीन या उससे छूट प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं, आदर्श जीएसटी कानूनों और विभिन्न दर स्लैब का निर्धारण करना।
- **महत्व:** यह भारत की पहली वास्तविक संघीय और पूर्ण रूप से सशक्त संस्था के रूप में कार्य करता है।
- अंतर-सरकारी सहयोग और सामूहिक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है।
- वास्तविक समय में मसौदा कानूनों पर चर्चा और संशोधन करने के लिए खुद को एक मसौदा समिति में परिवर्तित करता है।

जीएसटी परिषद का कार्य

➢ निर्णय लेना:

- निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत से लिए जाते हैं।
- बैठक के लिए न्यूनतम कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 50% है।

➢ वोट वेटेज:

- **केंद्र का वोट:** कुल डाले गए वोटों का एक तिहाई भाग।
- **राज्यों के वोट:** कुल डाले गए वोटों का दो तिहाई भाग।

➢ कार्यवाही की वैधता:

- जीएसटी परिषद की कार्यवाही या कार्य निम्नलिखित कारणों से अमान्य नहीं होंगे:
  - जीएसटी परिषद के गठन में कोई दोष या रिक्ति होने पर।
  - किसी सदस्य की नियुक्ति में कोई दोष होने पर।
  - कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करती।

पिछले कुछ वर्षों में हुए बदलाव

➢ 2022 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

- घोषित किया गया कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।
- अनुच्छेद 246ए संसद और राज्य विधानसभाओं को जीएसटी पर कानून बनाने का एक साथ अधिकार देता है।
- जीएसटी परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संवाद का परिणाम हैं।

➢ निहितार्थ:

- जीएसटी परिषद के भीतर असमान मतदान संरचना को मान्यता दी गई (राज्यों के लिए दो-तिहाई, संघ के लिए एक-तिहाई)।
- केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने फैसले का समर्थन किया, उनकी उपयुक्तता के आधार पर सिफारिशों को स्वीकार करने की सिफारिश की है।

लोकसभा में शपथ ग्रहण

संदर्भ: *18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू होगा, जिसमें नए सदस्य संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संसद सदस्य (एमपी) की शपथ लेंगे।*

➢ प्रमुख हस्तियाँ

- ओडिशा के कटक से लगातार सातवीं बार निर्वाचित भर्तृहरि महताब राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति होंगे।
- महताब को नए अध्यक्ष के चुनाव तक संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत अध्यक्ष (अस्थायी) के कर्तव्यों का दायित्व सौंपा गया है।
- जब तक उनके सहयोगी शपथ लेंगे, महताब सदन की अध्यक्षता करेंगे।

➢ सांसद का कार्यकाल

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अनुसार, लोकसभा सांसद का पांच साल का कार्यकाल भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के साथ ही शुरू हो जाता है।
- सांसदों को ईसीआई अधिसूचना की तिथि (नवीनतम चुनाव के लिए 6 जून, 2024) से वेतन और भत्ते मिलना शुरू हो जाते हैं।
- कार्यकाल की शुरुआत का यह भी अर्थ है कि पार्टी की निष्ठा बदलने वाले सांसदों को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है।

➢ संसदीय शपथ का महत्व

- चुनाव जीतने और कार्यकाल शुरू करने से सांसद को स्वतः ही सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं मिल जाती।
- सांसदों को संविधान में निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञान लेकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए (अनुच्छेद 99)।
- यदि कोई व्यक्ति शपथ लिए बिना सदन की कार्यवाही में भाग लेता है या मतदान करता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है (अनुच्छेद 104)।
- **अपवाद**: कोई व्यक्ति संसद में निर्वाचित हुए बिना भी मंत्री बन सकता है, लेकिन सदन की कार्यवाही में मतदान करने के लिए उसे छह महीने के भीतर सीट सुरक्षित करनी होगी।

➢ शपथ ग्रहण में बहुभाषावाद

- शपथ अंग्रेजी या संविधान में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में से किसी में भी ली जा सकती है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | **LAXMI NAGAR :** 9205212500, 9205962002 | **RAJENDRA NAGAR:** 9205274743 | **UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ:** 0532-2260189, 8853467068 | **LUCKNOW** (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | **LUCKNOW** (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | **GREATER NOIDA:** 9205336037, 38 | **KANPUR:** 7887003962, 7897003962 | **GORAKHPUR** : 7080847474, 9161947474 | **ODISHA BHUBANESWAR:** 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

- शपथ के लिए सामान्य भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, असमिया, उर्दू, मलयालम, कश्मीरी, मैथिली, नेपाली, डोगरी, संथाली, सिंधी, मणिपुरी, बोडो और कोंकणी शामिल हैं।

➢ **संसदीय शपथ पाठ**

- संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ पाठ शामिल है, जिसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता शामिल है।

➢ **शपथ का विकास**

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए मूल मसौदे में ईश्वर का उल्लेख नहीं किया गया था।
- इसमें उन लोगों के लिए ईश्वर को शामिल करने के लिए संशोधन किए गए जो विश्वास करते हैं, जबकि अन्य लोगों को गंभीरता से शपथ लेने की अनुमति दी गई।
- संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 में अंतिम परिवर्तन किया गया, जिसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को जोड़ा गया।

➢ **शपथ प्रक्रिया**

- सांसदों को सत्यापन के लिए अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र लोकसभा कर्मचारियों को प्रस्तुत करना होगा।
- संविधान के अनुसार सांसद अपनी पसंद की भाषा में शपथ या प्रतिज्ञान ले सकते हैं।
- सांसदों को अपने निर्वाचन प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम का उपयोग करना चाहिए और शपथ पाठ का सख्ती से पालन करना चाहिए।

➢ **शपथ बनाम प्रतिज्ञान**

- सांसद ईश्वर के नाम पर शपथ लेने या संविधान के प्रति निष्ठा की पुष्टि करने के बीच चयन कर सकते हैं।
- पिछली लोकसभा में, 87% सांसदों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली, जबकि 13% ने अपनी निष्ठा की पुष्टि की।

➢ **विशेष परिस्थितियाँ**

- जेल में बंद सांसद संसद में शपथ ले सकते हैं, अगर अदालत इसकी अनुमति देती है, ताकि 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने के बाद उनकी सीट खाली घोषित न हो जाए।
- उदाहरण: उत्तर प्रदेश के घोसी से सांसद अतुल कुमार सिंह ने जनवरी 2020 में जेल में रहते हुए शपथ ली।

भारत के परमाणु कार्यक्रम के चरण

संदर्भ: *4 मार्च को, भारत ने कलपक्कम स्थित मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) की कोर-लोडिंग प्रक्रिया शुरू करके अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश किया।*

भारत के तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम का अवलोकन

➢ **चरण 1: दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWR)**

- ईंधन और उप-उत्पाद: प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है और प्लूटोनियम-239 को उप-उत्पाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

➢ **रिएक्टर का विकल्प:**

- PHWR को उनके कुशल यूरेनियम उपयोग के लिए चुना गया था।
- भारत ने यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं के बजाय भारी जल उत्पादन का विकल्प चुना।
- PHWR में गैर-समृद्ध यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, जबकि हल्के जल रिएक्टर (LWR) में समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होती है।
- भारत PHWR घटकों का घरेलू स्तर पर उत्पादन कर सकता है।

➢ **उपयोग में आने वाले रिएक्टर:**

- उबलते पानी का रिएक्टर
- दबावयुक्त भारी पानी रिएक्टर
- दबावयुक्त पानी रिएक्टर

➢ **चरण 2: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR)**

- ईंधन: प्लूटोनियम-239 का उपयोग FBR के लिए मिश्रित-ऑक्साइड ईंधन बनाने के लिए किया जाता है।

➢ **क्रिया:**

- प्लूटोनियम-239 ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडन से गुजरता है।
- संवर्धित यूरेनियम और धातु ऑक्साइड मिश्रित-ऑक्साइड ईंधन के साथ प्रतिक्रिया करके अधिक प्लूटोनियम-239 बनाते हैं।
- थोरियम का उपयोग यूरेनियम-233 बनाने के लिए किया जाता है, जो तीसरे चरण के लिए आवश्यक है।

➢ **मुख्य विशेषताएं:**

- तमिलनाडु के कलपक्कम में पहला रिएक्टर स्थापित किया गया है।
- ईंधन के रूप में प्लूटोनियम-239 का उपयोग करता है, यूरेनियम-238 को प्लूटोनियम-239 में परिवर्तित करता है।
- फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर के रूप में जाना जाता है, शीतलक के रूप में तरल सोडियम का उपयोग करता है और कोई मॉडरेटर नहीं होता है।

➢ **चरण 3: उन्नत भारी जल रिएक्टर**

- लक्ष्य: यूरेनियम-233 और थोरियम के संयोजन का उपयोग करके एक स्थायी परमाणु ईंधन चक्र प्राप्त करना।

➢ **चुनौतियाँ:**

- थोरियम का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है और इसके लिए यूरेनियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम-233 से संवर्धन की आवश्यकता होती है।
- थोरियम के शुरुआती उपयोग से परमाणु ऊर्जा उत्पादन की वृद्धि धीमी हो जाएगी।

➢ **तैनाती:**

- बड़े पैमाने पर थोरियम की तैनाती को दूसरे चरण के बाद के भाग तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

- थोरियम को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालन के दौरान पेश किया जाएगा और मुख्य रूप से तीसरे चरण में उपयोग किया जाएगा।

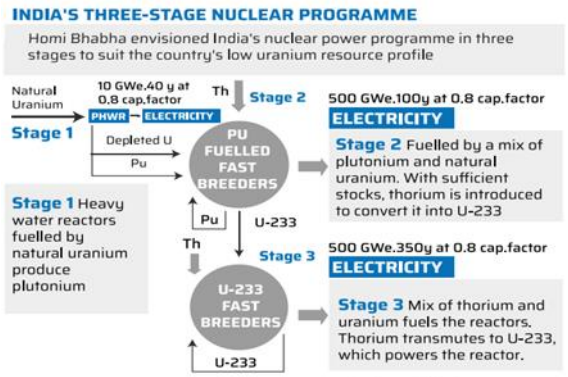

तीसरे चरण के लक्ष्य

1. **उपयोग:** थोरियम का व्यावसायिक पैमाने पर ईंधन के रूप में उपयोग करना।
2. **तैनाती:** भारत में परमाणु ऊर्जा की बड़े पैमाने पर तैनाती।
3. **आर्थिक प्रदर्शन:** वैकल्पिक ऊर्जा विकल्पों की तुलना में अच्छा आर्थिक प्रदर्शन प्राप्त करना।
4. **सुरक्षा:** अंतर्निहित और निष्क्रिय सुरक्षा सुविधाओं- के माध्यम से उच्च सुरक्षा स्तर प्राप्त करना
5. **प्रसार प्रतिरोध:** थोरियम ईंधन चक्र की प्रसार-प्रतिरोधी क्षमता का उपयोग करना।
6. **अनुकूलनशीलता:** अलवणीकरण और उच्च तापमान प्रसंस्करण जैसे गैर-विद्युत अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करना।

तीसरे चरण के लक्ष्य

1. **उपयोग:** थोरियम का व्यावसायिक पैमाने पर ईंधन के रूप में उपयोग करना।
2. **उद्धार:** भारत में परमाणु ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उद्धार।
3. **आर्थिक प्रदर्शन:** वैकल्पिक ऊर्जा की तुलना में अच्छा आर्थिक प्रदर्शन प्राप्त करना।
4. **सुरक्षा:**स्वच्छ और निष्क्रिय सुरक्षा सुविधाओं के माध्यम से उच्च सुरक्षा स्तर प्राप्त करना।
5. **प्रसार प्रतिरोध:** थोरियम ईंधन चक्र की प्रसार-प्रतिरोधी क्षमता का उपयोग करना।
6. **अनुकूलनशीलता:** गैर-विद्युतीय उपयोग जैसे अलवनीकरण और उच्च तापमान पीएमएस के लिए अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करना।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ़िक संगठन

हाल ही में, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ़िक संगठन द्वारा हाइड्रोग्राफी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ़िक संगठन के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ़िक संगठन (IHO) 1921 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- यह हाइड्रोग्राफी में वैश्विक प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है, जिसमें महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों और नदियों की भौतिक विशेषताओं का मापन और वर्णन शामिल है।
- अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ़िक संगठन के मुख्य उद्देश्यों में सुरक्षित नेविगेशन को बढ़ावा देना, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना और समुद्री चार्ट एवं प्रकाशनों के विकास और मानकीकरण को सुविधाजनक बनाना शामिल है।
- संगठन दुनिया भर में समुद्री सुरक्षा, दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए अपने सदस्य राज्यों के बीच हाइड्रोग्राफ़िक सर्वेक्षण और डेटा एक्सचेंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक और दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
- इसकी सदस्यता 100 सदस्य राज्यों के पास है, जिसमें दुनिया भर के समुद्री राष्ट्र शामिल हैं।
- 1921 में संगठन के निर्माण के बाद से इसका सचिवालय मोनाको रियासत द्वारा संचालित किया जाता रहा है।

लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य

हाल ही में, असम के लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य में संदिग्ध शिकारियों और वन गश्ती दलों के बीच गोलीबारी में दो शिकारियों की मौत हो गई।

लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:

- लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है।
- यह लाओखोवा-बुरहाचापोरी पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है।
- लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य काजीरंगा टाइगर रिजर्व का एक अधिसूचित बफर है।
- यह अभयारण्य कई प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों के बीच में स्थित है, जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (पूर्व), ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य (पश्चिम), पक्के-नामेरी राष्ट्रीय उद्यान (उत्तर) और कार्बी आंगलोंग रिजर्व वन (दक्षिण) शामिल हैं।
- ब्रह्मपुत्र नदी बुरहाचापोरी वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा से होकर बहती है, जिससे कई नदी द्वीप बनते हैं।
- **वनस्पति:** अभयारण्य की वनस्पति में विस्तृत घास के मैदान, मिश्रित पर्णपाती वन, आर्द्रभूमि और नदी तटीय वनस्पति आदि शामिल हैं।
- **जीव-जंतु:** अभयारण्य महान भारतीय एक सींग वाले गैंडे, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई जल भैंस, भौंकने वाले हिरण, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ और जंगली सूअरों का घर है।

अभिघातजन्य तनाव विकार

जटिल अभिघातजन्य तनाव विकार (सीपीटीएसडी) को वर्ष 2018 में रोगों और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय वर्गीकरण के 11वें संस्करण में एक स्वतंत्र निदान के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

अभिघातजन्य तनाव विकार के बारे में:

- अभिघातजन्य तनाव विकार (पीटीएसडी) एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी दर्दनाक घटना का अनुभव करने या उसे देखने के बाद विकसित हो सकती है।
- यह प्रायः विपरीत परिस्थितियों सैनिकों, यौन हिंसा के बचे लोगों और ऐसे व्यक्तियों से जुड़ा होता है जो जीवन के लिए ख़तरनाक स्थितियों से गुज़रे हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, दुनिया की 4% आबादी ने किसी न किसी समय इस प्रकार के विकार का अनुभव किया है।
- अभिघातजन्य तनाव विकार के लक्षणों में फ्लैशबैक, बुरे सपने, अलगाव, रुचि की कमी, क्रोध का विस्फोट, चिंता, अपराधबोध, उदासी, भयावह विचार, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और शारीरिक दर्द शामिल हैं।
- इसके लक्षण बार-बार बदमाशी, भावनात्मक दुर्व्यवहार, उपेक्षा और लंबे समय तक घरेलू दुर्व्यवहार के शिकार व्यक्तियों में भी देखे गए हैं।

खबरों में व्यक्तित्व
श्यामा प्रसाद मुखर्जी

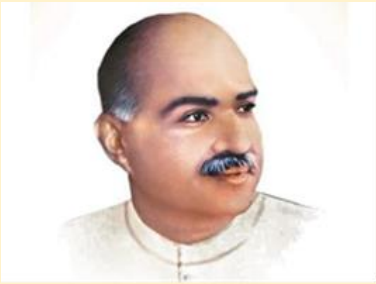

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 71वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और भारत माता के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा की।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी (6 जुलाई 1901 - 23 जून 1953)

श्याम प्रसाद मुखर्जी, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर और शिक्षाविद जिन्होंने थे प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री (वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में जाने जाते हैं) के रूप में कार्य किया, उनका जन्म कलकत्ता (अब कोलकाता), पश्चिम बंगाल में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था।

योगदान:

- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने।
- उन्होंने अनुच्छेद 370 का कड़ा विरोध किया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया।
- उनका नारा था "एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे" (एक देश में दो संविधान, दो प्रधानमंत्री और दो राष्ट्रीय प्रतीक नहीं हो सकते)।
- उन्होंने 1946 में बंगाल के हिंदू बहुल क्षेत्रों को मुस्लिम बहुल पूर्वी पाकिस्तान में शामिल होने से रोकने के लिए विभाजन की मांग की।
- उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ (BJS) की स्थापना की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में बदल गई।
- वे भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद की विचारधाराओं से प्रेरित थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे।

सम्मान:

- भारत सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत और भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका का सम्मान करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किए।
- उनके जीवन और योगदान का सम्मान करने के लिए दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई। यह एक शोध और शैक्षिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग और कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह का नाम उनके सम्मान में रखा गया है।

नैतिक मूल्य: ईमानदारी, देशभक्ति, साहस, समर्पण, आदि।

सुर्खियों में स्थल
संयुक्त अरब अमीरात

हाल ही में, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अपने संयुक्त अरब अमीरात समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद के साथ सार्थक वार्ता की।

संयुक्त अरब अमीरात (राजधानी: अबू धाबी)

अवस्थिति: संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है।

सीमाएँ: संयुक्त अरब अमीरात की सीमाएँ ओमान (पूर्व), फारस की खाड़ी (उत्तर), सऊदी अरब (दक्षिण और पश्चिम) और कतर (उत्तर-पश्चिम) से मिलती हैं।

भौतिक विशेषताएँ:

- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का सबसे ऊँचा स्थान जेबेल जैस है।
- दुबई में बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊँची इमारत
- यूएई में रेगिस्तानी जलवायु है, जहाँ बहुत गर्म ग्रीष्मकाल और गर्म सर्दियाँ होती हैं।
- संयुक्त अरब अमीरात पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, क्रोमाइट, तांबा, सल्फर और प्रचुर मात्रा में रेत और बजरी से समृद्ध है।

सदस्यता: यह संयुक्त राष्ट्र, ओपेक और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है।

POINTS TO PONDER

- हाल ही में खबरों में रहा "इंडिकोनेमा" क्या है? – **गोम्फोनमॉइड डायटम का नया वंश**
- हाल ही में किस संस्थान ने AI के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? – **IIIT, दिल्ली**
- हाल ही में, किस संस्थान ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) को संबोधित करने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार जीता है? – **IIIT, दिल्ली**
- हाल ही में, वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में 'धारीदार सीसिलियन (इचथियोफिस एसपीपी)' की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? – **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान**
- हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? – **कर्नाटक**